



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20 2013/फाल्गुन 1, 1934

No. 56]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

सं. ए-10/32/2013-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25, की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन ग्रेड-II पद सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या छोड़े गए कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन ग्रेड-II भर्ती विनियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **वरिष्ठता.**—इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले कैमरामैन ग्रेड-II की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।

5. **निरहता.**—वह व्यक्ति,—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **नैमित्तिक कर्मियों के लिए आयु में छूट.**—कैमरामैन का कार्य निष्पादन करने वाले आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टेशनों या केंद्रों में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों को कैमरामैन के रूप में उनकी नैमित्तिक आधार पर की गई सेवा अवधि तक सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

बशर्त एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों की सेवा को एक वर्ष की सेवा के रूप में गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—एतद्बाध स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के उद्देश्य के लिए की गई सेवा सीमा के निर्धारण हेतु नैमित्तिक आधार पर कैमरामैन के रूप में एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की न्यूनतम कुल अवधि के लिए अनुबंध को एक वर्ष गिना जाएगा और एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम अनुबंध को इस आयु छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

7. **छूट देने की शक्ति.**—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. **व्यावृत्ति.**—सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। उनसे संबंधित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कैमरामैन ग्रेड-II	*512 (2013) कार्य मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्ति-वत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2, (रु. 9300—34800 और ग्रेड पे 4600 रुपए)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (प्रसार भारती के कर्मचारियों को 5 वर्ष और नैमित्तिक कार्मियों को नियम 6 के अनुसार छूट) टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (परंतु वे अंतिम तारीख जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग, संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित नहीं होगी)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति : चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत
--	---	----------------------------	--

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और मान्यता प्राप्त संस्थान से सिनेमाटोग्राफी में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; या मान्यता प्राप्त संस्थान से सिनेमाटोग्राफी में डिग्री सिनेमाटोग्राफी/एप्लाइड विडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। वांछनीय: मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में 2 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	दो वर्ष	20 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां (सीधी भर्ती पदों के अलावा और अन्य) फीडर ग्रेड में कर्मचारियों के दो वर्गों द्वारा भरी जाएंगी अर्थात् निगम द्वारा अधिसूचित किए निगम के प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
--	--

(11)	(12)
पदोन्नति- कैमरामैन ग्रेड-III के पद में 5 वर्ष नियमित सेवा टिप्पणी : जहां कनिष्ठों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/	पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति : 1. प्रसार भारती भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन —सदस्य 3. उप-महानिदेशक (प्रशा.) दूरदर्शन —सदस्य

(11)

(12)

योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी हो गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।

स्थायीकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| (i) उप महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन | —अध्यक्ष |
| (ii) उप-महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन | —सदस्य |
| (iii) निदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन | —सदस्य |

ब्रिगेडियर (अव. प्राप्त) वी. ए. एम. हुसैन, सदस्य (कार्मिक)
[विज्ञापन-III/4/असाधारण/163/12]

PRASAR BHARATI
(Broadcasting Corporation of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

No. A-10/32/2013-PPC.—In exercise of the powers conferred by Section 9 and sub-section (5) of Section 11 read with clause (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Cameraman Grade-II Post Service Regulations, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Cameraman Grade-II Recruitment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—The number of the said post, its Pay Band and Grade Pay or Pay Scale shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 12 of the said Schedule.

4. Seniority.—The interse seniority of Cameraman Grade II who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

5. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Age relaxation for casual assignees.—The casual assignees working in the Stations or Kendras of All India Radio and Doordarshan performing the duties of Cameraman shall be eligible for relaxation of age for direct recruitment to the extent of their services rendered as Cameraman on casual basis.

Provided that a minimum of 120 days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation.—It is hereby clarified that for determining the extent of service rendered for the purpose of this regulation, engagement of a total minimum period of one hundred and twenty days in one calendar year as Cameraman on casual basis shall be taken as one year and their engagement for less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for such age relaxation.

7. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board, and with the prior approval of Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cameraman Grade-II	*512 (2013) *Subject to variation dependent on the workload. Note : The number of posts in each grade is total number of the posts sanctioned for that grade and at any time it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B',	Pay Band-2, Selection post (Rs.9300—34,800) and Grade Pay Rs. 4600.	Selection post	Not exceeding 30 years (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years and for casual assignees as per rule 6). Note : The Central date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Essential : Degree from a recognized University and Post Graduate Certificate or Diploma in Cinematography from a recognized institute or Degree in Cinematography from a recognized institute and one year experience in the field of Cinematography/Applied Videography. Desirable : Two years experience in motion picture photography.		Not applicable		Two years	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(10)	(11)	(12)
<p>Twenty per cent by Promotion; Eighty per cent by Direct Recruitment Note : The vacancies arising in a particular year in each grade (other than the direct recruitment posts) be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the corporation, as may be notified by the Corporation.</p>	<p>Promotion: Cameraman Grade-III with five years regular service in the Grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :— 1. Chairperson or Member of Prasar Bharati Recruitment Board : —Chairperson 2. Deputy Director General (Programme); Doordarshan —Member 3. Deputy Director General (Administration), Doordarshan —Member Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Deputy Director General (Programme), Doordarshan: —Chairman 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan: —Member 3. Director (Programme), Doordarshan: —Member</p>

(Retd.) (Brig.) V. A. M. HUSSAIN, Member (Personnel)

[ADVT-III/4/Exty./163/12]

699GI/3-2